पशु क्रूरता निवारण
(पशुओं को नाल ठोकने की अनुज्ञप्ति) नियम, 1965

पशु–क्रूरता निवरण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 38, उपधारा (2) वाक्य (एफ) मे प्रदत्त शक्तियों के प्रवर्तन में केन्द्रीय सरकार यहां निम्नांकित नियम, उक्त धारा की उपधारा (9)के अनुसार पूर्व मे ही प्रकाशित, बताती है, यथाः

पशु–क्रूरता निवरण
(पशुओं को नाल ठोंकने की अनुज्ञप्ति) नियम, 1965

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः

(1) ये नियम पशु–क्रूरता निवारण (पशुओं का नाल–ठाकने को अनुज्ञप्ति) नियम, 1965 कहलाएंगे।

(2) ये नियम किसी भी राज्य मे तब से प्रभावी होंगे जब राज्य उन्हे राजकीय गजट में प्रकाशित करे और राज्य उसके अलग–अलग क्षेत्रों मे अलग–अलग प्रभावी–तिथि भी तय कर सकेगा।

2. परिभाषाएं

इन नियमों मे, जब तक संदर्भ अन्यथा न जताएः

(क) ढोर से तात्पर्य है – भैंस, बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा तथा इसमें अन्य ऐसे पशु भी सम्मिलित हैं जो कृषि–कार्य, भार ढोने, भार–खीचने के उपयोग में आते है जिन्हे नाल ठोकना आवश्यक हो।

(ख) नाल ठाकने वाला से तात्पर्य है – वह व्यक्ति जो पशुओं को नाल ठोकने का कारोबार करता है।

(ग) अनुज्ञप्ति से तात्पर्य है इन नियमों के अंतर्गत दी गई अनुज्ञप्ति।

(घ) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से तात्पर्य है – राज्य सरकार के पशुचिकित्सा विभाग का ऐसा अधिकारी या स्थानीय प्रशासन या पशुकल्याणकारी किसी संस्था का ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में नामज़द करे।

3. नाल ठोकने वाले को अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

इन नियमों के प्रभावी होने के पक्षात कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना नाल ठोकने का धंधा कर नही सकेगा और इन नियमों के प्रभावी होते समय यदि कोई व्यक्ति नाल ठोकने का धंधा करता रहा हो तो तो इन नियमों के प्रभावी होने के तीन माह बाद ऐसा व्यक्ति बिना अनुज्ञप्ति के नाल ठोकने का धंधा निरंतर नही रख सकेगा।

4. नाल ठोंकने हेतु अनुज्ञप्ति के लिए पात्र व्यक्ति

प्रत्येक व्यक्ति जिसने –

(1) 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और

(2) जिसने ढोरो के नाल ठोंकने का ऐसा प्रशिक्षण लिया हो जिसे अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने मान्य किया हो, अथवा

(3) इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व वह व्यक्ति न्यूनतम दो वर्षो से नाल ठोंकने का धंधा करता रहा हो;

उसे अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी।

5. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदनपत्र

जो व्यक्ति इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व से नाल ठांकने का धंधा करता रहा हो या जो व्यक्ति इन नियमों के प्रभावी होने के बाद नाल ठोंकने का धंधा प्रारंभ करना चाहता हो, उसे अनुज्ञप्ति – प्राधिकारी के समक्ष एक लिखित

आवेदनपत्र देना होगा जिसमे अपना नाम, घर का पता, धंधे का स्थान, अनुज्ञप्ति हेतु योग्यता और अन्य विवरण जो अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी मांगे उनका उल्लेख करेगा।

6. अनुज्ञप्ति – स्वीकृति

आवेदक अनुज्ञप्ति–प्राप्ति हेतु योग्य और उपयुक्त है क्या, उसके पास धंधे योग्य साधन है क्या या उपयुक्त एवं पर्याप्त साधन एकत्र करने की व्यवस्था है क्या, इन बातो के बारे में अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी स्वयं की संतुष्टि करने के पक्षात प्रत्येक ऐसे योग्यता–प्राप्त व्यक्ति को, इन नियमों के परिशिष्ट में दिये प्रारूप में एक अनुज्ञति–पत्र जारी करेगा।

स्पष्टीकरण : जो व्यक्ति नाल ठोंकने का धंधा करता हो या करना चाहता हो उसके पास सामान्यतः निम्नांकित साधन और औजार होने चाहिएः

1. पांखियावाला ठोंकने का हथोड़ा
2. हाथ से चलाने वाला हथोड़ा
3. खींचने वाला चाकू
4. (स्कोरचर तपा हुआ चाकू)
5. चीपिया (पींचर)
6. आघात सहन करने का साधन – बफर
7. अलग दांतावाली कानस
8. लोहा काटने की छैनी
9. खीलों के लिए छैद करनेवाला पंच
10. नाल ठांकने वाला खीला
11. जोर से खींचकर निकालने का साधन–द्वीच
12. काम तराशने हेतु लकड़ी का पटिया
13. लोहे का ऐरन
14. नाल हेतु बढ़िया जाति का घड़ने योग्य लोहा

7. अनुज्ञप्ति तथा उसके नवीनीकरण की अवधि

(1) जिस तारीख को अनुज्ञप्ति जारी हुई हो उसके दो वर्षों तक वह प्रभावशील रहेगी। परंतु यह समय–समय पर, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदनपत्र पर जिसमें किस अवधि तक नवीनीकरण होना है उसका उल्लेख होकर, पुनः नवीनीकृत की जा सकेगी।

परंतु कोई भी अनुज्ञप्ति किसी भी एक बार में दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए नवीनीकृत नहीं की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण अनुज्ञप्ति–पत्र के कॉलम में नवीनीकरण करने की तारीख, अवधि और अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी के हस्ताक्षर उल्लेखित करके होगा।

8. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति (डूप्लीकेट)

यदि कोई अनुज्ञप्ति–पत्र खराब हो जाए, खो जाए या नष्ट हो जाए तो अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी स्वयं के संतोषलायक पूछपरछ करके अनुज्ञप्ति–पत्र की दूसरी प्रति (डूप्लीकेट) प्रदान कर सकेगा।

9. नाल ठोकने वाला उपयुक्त सावधानी और कुशलता रखे

इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक नाल ठोंकनेवाला अनुज्ञप्तिधारक नाल ठोंकते समय उपयुक्त सावधारी और कुशलता का उपयोग करे।

10. अनुज्ञप्ति – निरस्तीकरण

(1) अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह जांच हेतु अनुज्ञप्तिधारी के धंधे के स्थान पर सामान्य कामकाज के समय के दौरान निरीक्षण हेतु प्रवेश कर सकेगा और यदि अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी का यह मत बना हो कि अनुज्ञप्तिधारी नाल ठोंकने में उपयुक्त सावधानी और कुशलता का उपयोग नही कर पाता है या उसके धंधे के लिए उसके पास उपयुक्त–पर्याप्त औजार–साधन नही है तो, उसे सुनवाई का औचित्यपूर्ण अवसर देने के बाद, वह उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्ति उस दशा में भी निरस्त हो सकेगी जब अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का भंग किया ऐसी संतुष्टि अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी को हो जाए और अनुज्ञप्तिधारी को अपनी सफाई देने का औचित्यपूर्ण अवसर दे दिया गया हो।

10ए.* अनुज्ञप्तिपत्र देने से इंकार करनेवाले या अनुज्ञप्तिपत्र के निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध ऐसे प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी जिसे राज्य सरकार इस हेतु राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

11. निरस्त होने के बाद नई अनुज्ञप्ति निकालने हेतुः

नियम 10 के अनुसार जिस व्यक्ति का अनुज्ञप्तिपत्र निरस्त हो गया तो उसे नये अनुज्ञप्तिपपत्र हेतु आवेदन देने पर नया दिया जा सकेगा। ऐसे आवेदन के समय यदि अनुज्ञप्ति – प्राधिकारी उस समय की परिस्थितियों को देखते संतुष्ट हो जाए कि अब ऐसा कोई कारण नही है कि नया अनुज्ञप्तिपत्र नहीं दिया जा सकता, तो नया अनुज्ञप्तिपत्र दिया जा सकेगा।

12. शुल्कः

(1) अनुज्ञप्ति हेतु प्रति आवेदनपत्र शुलक एक रूपया और नवीनीकरण हेतु या डुप्लीकेट प्रति हेतु पचास पैसे शुल्क भरना होगा।

(2) ऐसा शुल्क नगद दिया जा सकेगा या उतनी ही कीमत का गैर–न्यायी स्टांप चिपकाया जा सकेगा।

13. पंजी रखने संबंधी

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एक पंजी रखेगा जिसमें प्रत्येक अनुज्ञप्तिपत्र के बारे में पूरे विवरण नोंद रहेगे।

नाल ठोंकने संबंधी संशोधन नियम, 1966 द्वारा संशोधन, (भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना क्र. 19–13/65 एल.डी दिनांक 8 मार्च, 1966 के अनुसार)

---

* नाल ठोंकने संबंधी संशोधन नियम, 1966 द्वारा संशोधन, (भारत सरकार, खाद्य एवं कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना क्र. 19–13/65 एल.डी. दिनांक. 8 मार्च, 1966 के अनुासर)

नाल ठोंकने वाले का अनुज्ञप्ति पत्र

अनुज्ञप्तिपत्र क्रमांक .....

1. अनुज्ञप्तिधारक का नाम
2. निवास स्थान और डाक का पूरा पता
3. धंधे का स्थान
4. अनुज्ञप्ति की अवधि
   (दिनांक ..... से दिनांक ..... तक)

अनुज्ञप्ति की शर्तें

(1) यह अनुज्ञप्ति–पत्र, जारी होने के दो वर्ष की अवधि तक प्रभावी होगा। मूल या पूर्व अनुज्ञप्ति की अवधि पूरी होन के एक माह पूर्व, पशु–क्रूरता निवारण (नाल ठोंकने की अनुज्ञप्ति) नियम, 1965 के नियम 7 के अनुसार आवेदनपत्र नवीनीकरण हेतु देता होगा।

(2) अनुज्ञप्ति–पत्र की निरन्तरता अवधि में अनुज्ञप्तिधारक, सामान्यधंधे के घंटो में, अपने धंधे के स्थान पर नाल ठोंकने संबंधी आवश्यक औजार और अन्य साधन अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी के निरीक्षण के समय मांगने पर दिखाने हेतु बाध्य होगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि वह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा धंधे के स्थान के निरीक्षण हेतु सारी समुचित सुविधाएं उपलब्ध करेगा जिससे वह प्राधिकारी धंधे के स्थान और धेधे के तौर–तरीके के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर सके।

नवीनीकरण नोंद

नवीनीकरण तिथि	पूरा होने की तिथि	अनुज्ञप्ति–प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4

(भारत गजट विभाग 3 उपविभाग में अधिसूचित भारत सरकार, खाद्यान्न एवं कृषि क्रमांक 9–18/62 एल.डी.दिनांक 13.3.1965. नाल ठोंकने वाले की अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 1965 द्वारा प्रस्थापित)